

dk; kly; %& ikpk; j ftyk f'k{kk , oa if'k{k.k l dFkku eMjkd] vyhx<A

foKflr@l ipuk

वि० बी०टी०सी० प्रशिक्षण-2007 के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 4854-4856/2009 उ०प्र० राज्य व अन्य बनाम भूपेन्द्र नाथ त्रिपाठी तथा अन्य सम्बद्ध विशेष अनुज्ञा संख्या 1123/2009 उ०प्र० राज्य व अन्य बनाम भूपेन्द्र नाथ त्रिपाठी तथा अन्य में पारित आदेश दिनांक 29.10.2010 से आच्छादित जिन अभ्यर्थियों ने जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में अपने मूल अभिलेख की जांच कराई है अथवा जिनका प्रशिक्षण शासनादेश दिनांक 10.7.2007 के आलोक में मान्य न होने के कारण अभ्यर्थन निरस्त किया जा चुका है तथा ऐसे भी अभ्यर्थी जिनका प्रशिक्षण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्य न होने के कारण वे जांच प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं हुए है यदि अपने से सम्बन्धित वर्ग श्रेणी की नीचे दी गई कट ऑफ मेरिट अन्तर्गत आते हैं, वे दिनांक 22 को समस्त श्रेणियों की महिला एवं दिनांक 23 दिसम्बर, 2010 को समस्त श्रेणियों के पुरुष अभ्यर्थी अपने मूल अभिलेखों/प्रमाण पत्रों के साथ ही 02 सेट नवीनतम फोटो सहित जांच हेतु प्रातः 10:00 बजे संस्थान में उपस्थित हों। अभ्यर्थियों की सूची Website <http://www.aligarh.nic.in> पर क्लिक करके देख सकते हैं।

t k b l i p h d h d v v k n d e f j v d k f o o j . k

Js kh	f'k{kk fe=ka l s fHkUu				f'k{kfe=	
	efgyk		i q "k		efgyk	i q "k
	dyk	foKku	dyk	foKku		
सामान्य	253.23	247.90	244.75	246.32	186.65	206.13
अनुसूचित जाति	226.45	196.59	219.75	218.40	-	165.63
अनुसूचित जनजाति	-	-	198.59	199.33	-	-
अन्य पिछडा वर्ग	236.56	205.57	238.89	235.09	187.39	200.13
दृष्टिबाधित पी०एच०-5	196.73		208.12		-	-
श्रवणहास पी०एच०-6	-		200.80		-	-
चलन किया पी०एच०-7	208.07		237.69		-	202.24
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित डी०एफ०एफ० -8	196.05		204.13		-	-
भूतपूर्व सैनिक-9	-		216.40		-	-

- जारी की गयी सूची किसी भी रूप में चयन सूची नहीं है । यह मात्र मूल अभिलेखों की जांच हेतु आमंत्रित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की सूची है ।
- यदि अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को संस्थान में उपस्थित नहीं होते हैं, तो भविष्य में उनके अभ्यर्थन के प्रति विचार नहीं किया जायेगा और इसके लिये वे स्वयं उत्तरदायी होंगे । जारी की गयी जांच सूची माननीय उच्च न्यायालय/माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं लिपिकीय त्रुटि के संधान के अधीन होगी ।

ikpk;l ftyk cfl d f'k{kk vf/kdkjh ftyk fo|ky; fujh{kd eq; fodkl vf/kdkjh ftykf/kdkjh  
Mk; V vyhx<+ vyhx<+ vyhx<+ vyhx<+  
eMjkd]vyhx<+